संख्या-सम्ब0-116/सत्तर-2-2011-2(312)/2010

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 7 जुलाई, 2011

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः सम्ब0/2011/4248-49, दिनांक 25.6.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन गॉडल पब्लिक एजूकेशन कालेज, चन्दौसी, मुरादाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

--2--

<u>संख्या-सम्ब0-116(1)/सत्तर-2-2011-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली
(3) सचिव/प्रबन्धक, मॉडल पब्लिक एजूकेशन कालेज, चन्दौसी, मुरादाबाद
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :- रू0वि0/सम्ब0/2014/पम-125(1) / 18639-40 दिनांकः 05.04.2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
मॉडल पब्लिक एजुकेशन कालेज,
बहजोई रोड, चंदौसी।

महोदय,

कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0 116/सत्तर-2-2011-2(312)/2010, दिनांक 07 जुलाई, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एड. पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत, दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति विषयक पत्र के आलोक में मुझे आपको यह सूचित करना है कि स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एड. पाठ्यक्रम की सत्र 2011-12 से कुलपति महोदय ने अग्रेत्तर सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है-

1. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों के सही पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।
2. महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है तो, सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
3. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" इस व्यवस्था का अनुपालन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वार सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:-
   37(6):- कार्यपरिषद के प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर कराये और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।
   37(7):- कार्यपरिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश कर सकेगा, जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।
   उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।
5. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा करा ली गयी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
6. सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा रजिस्ट्रार इस बात की भली-भांति परीक्षण कर लेंगे विभिन्न मानकों पर पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालयों का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
7. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि- सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र संख्या सम्ब0 116/सत्तर-2-2011-2(312)/2010, दिनांक 07 जुलाई, 2011 के सन्दर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव